FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO).... मुकाम ....बायतु....

....रामकुमार सिंह.... बनाम ....राज्य सरकार मुतरोह [illegible]....

किस्म मुकदमा ....75 RLR act.... नं. ....01/2021.... सन्........

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.3.21	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री ....गिरधारीराम [illegible].... ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/~~वाद~~/अपील धारा ....75 RLR act.... ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /~~प्रतिवादी~~/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....04/05/2021.... को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/05/2021	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। उत्तरदातागणों के नोटिस तामील प्रस्तुत तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/09/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/09/21	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। उत्तरदाता-गणों के नोटिस तामील किस्म तामील अप्राप्त। इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 2[illegible] को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:35 IST
Reason: SelfAttested

21/10/2021

पत्रावली आज पेश कोर्ट ग्राम पंचायत
बामड़ चिमनजी के रखी गई अपीलान्ट के अधिवक्ता
उपस्थित / उत्तरदातागण संख्या-2 से 13 की ओर से
वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय
ईकबाली जवाब व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-
पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया
गया / अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई,
पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का
अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अपीलान्ट की
अपील स्वीकार की जाकर फैसला अलग से लिखा
जाकर शामिल पत्रावली किया गया / पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो /

सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु
(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

अपील सख्या – 01/2021

अपीलांट — बनाम — उतरदाता

1. राजकुमारसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी चारणेत, सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।

1. ग्राम पंचायत सवाउ मूलराज
2. उम्मेदसिंह पुत्र गजेसिंह जाति राजपूत निवासी चारणेत, सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा
3. सगतसिंह पुत्र कलसिंह
4. कंवरसिंह पुत्र दीपसिंह
5. मूलसिंह पुत्र दीपसिंह
6. प्रेमसिंह पुत्र दीपसिंह
7. सिरेकंवर पत्नी दीपसिंह
8. पीरसिंह पुत्र दुर्गसिंह
9. अमरसिंह पुत्र दुर्गसिंह
10. आम्बसिंह पुत्र दुर्गसिंह
11. अनोपसिंह पुत्र परबतसिंह
12. सवाईसिंह पुत्र शैतानसिंह
13. उगमकंवर पत्नी शैतानसिंह निवासी चारणेत, सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा
14. तहसीलदार गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

दिनांक :– 21 /10/2021

–: आदेश :–

अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–06/06.11.1995 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम चारणेत पटवार मण्डल सवाउ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 98 रकबा 128.01 बीघा में फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 06/06.11.1995 ऑनलाईन दायर करते समय अपीलांट का नाम राजकुमारसिंह के स्थान पर खमाणसिंह फीड हो गया एवं नामान्तरकरण जांच होकर, ग्राम पंचायत सवाउ मूलराज ने स्वीकृत कर दिया गया। अतः अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर उक्त आराजी में खुमाणसिंह के नाम के स्थान पर राजकुमारसिंह शुद्व करने का निवेदन किया है।

उत्तरदातागण संख्या 2 के द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब पेश कर अपीलांट का नाम खमाणसिंह के स्थान पर राजकुमारसिंह दर्ज किये जाने की सहमति प्रदान की गई। अपीलांट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में खमाणसिंह के स्थान पर राजकुमारसिंह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने अपीलांट वकील की बहस सुनी व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 06/06.11.1995 को खारिज किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को प्रतिप्रेषित कर ग्राम चारणेत पटवार मण्डल सवाउ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 98 रकबा 128.01 बीघा में खमाणसिंह पुत्र गजेसिंह के स्थान पर राजकुमारसिंह पुत्र गजेसिंह व उत्तरदातागण संख्या 2 उम्मेदसिंह पुत्र गजेसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

21/10

(जगदीशसिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:06:35 IST
Reason: SelfAttested